

Vol. 66 No. 214 | WEDNESDAY | JANUARY 11, 2023 | 28 Pages | ₹ 5

FOR THE PEOPLE

Reg. No. M

THE FREE PRESS

cs/048/2021-23; RNI No. 1541/1957 M.p.c.s office Mumbai-400001

Quality at Value

www.freepressjournal.in

JOURNAL

CRUELTY TO ANIMALS

Rights panel comes down hard on govt

S BALAKRISHNAN / Mumbai

The Maharashtra State Human Rights Commission has passed severe strictures against the Maharashtra home department, the state police, and the ministry for animal husbandry for not fully implementing the Maharashtra Animal Preservation Act, 1976 and not enforcing the ban on the slaughtering of cows and its progeny.

The additional chief secretary, home, the director-general of police and the principal secretary department of animal husbandry have been asked by the commission to be present before it on February 9 at 11 a.m.

Commission chairperson Justice K.K. Tated has issued summons to the officials and asked them to file their affidavits with respect to a complaint filed by an animal activist Ashish Barik.

Advocate Siddh Vidya, who appeared for Barik, said no action was being taken against unauthorised slaughter houses in Maharashtra and when NGOs approach the police, the officials do not act.

"Many animal lovers were attacked by owners of illegal slaughter houses and cow smugglers," she said.

CONTD. ON P15

Rights panel..

"However, the police do not act on their complaints. That is why we approached the state human rights commission," she explained.

"Unfortunately, no one remained present on behalf of additional chief secretary, home department, Mantralaya, Mumbai despite summons served on them. Therefore, we are of the opinion that a show cause notice should be issued to the home department on why action should not be taken against them," the commission observed.

It noted that a report was filed by special inspector general of police Mänd Bharambe, who is now commissioner of Navi Mumbai, without going through the entire complaint.

The commission also noted that the standard operating procedure does not seem to be implemented in its true spirit. Mr Barik said that in December 2022 a party probing a complaint of illegal slaughter was attacked in Malegaon but officials of the home and police departments were unaware of the incident. "Such a pathetic approach in dealing with the sensitive matters like this deserves to be condemned in strong words," it noted.

नवभारत

1934 से

डीजीपी व चीफ स्पेक्ट्रेटरी तलब

मानवाधिकार आयोग ने गोवंश हत्या कानून पर अमल न करने के लिए मांगा जवाब

■ मुंबई, नवभारत न्यूज नेटवर्क. गोवंश हत्या को रोकने के लिए बने कानून को प्रभावी ढंग से लागू न करने के मामले को मुंबई में महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के साथ-साथ पशुसंवर्धन विभाग के प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रूप से हार्जिस होने का निर्देश दिया है. आयोग ने यह निर्देश शिकायतकर्ता आरोप बरक के उस मामले को मुंबई में दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने गोवंश की हत्या को प्रतिबंधित करने वाला कानून तो लागू किया है, लेकिन उस पर अमल करने के लिए कोई भी नियम नहीं बनाए हैं और उसका टोक से पालन नहीं हो रहा है. चारों ओर 17 जनवरी 2021 को गोमांस तस्करी के हाथों पुलिस को उपस्थिति में तब जनसेवा हमले का शिकार होना पड़ा था, जब उन्होंने चुनावी पुलिस को मुंबई से भी कि कुछ तस्करी टुक में गोमांस ले जा रहे हैं. जब आरोप पुलिस के साथ उस टुक का पकड़ा कर रहे थे तो पुलिस की उपस्थिति में उनका रास्ता रोक कर उन पर धाक हमला किया गया, जिससे उन्हें आंशिक रूप में घायल पड़ा था, अपने ऊपर

अगली सुनवाई 9 को

1 आयोग के चेयरमैन के.के. तांडे ने पाया कि 80% से ज्यादा शिकायतें होम डिपार्टमेंट से संबंधित आती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इस विभाग ने अपना स्पॉन्सोरिंग बिजनेस किराये होमवर्क के फाइल कर दिया है.

2 आयोग ने पशुसंवर्धन डिपार्टमेंट के रोजनल ज्वाइंट कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे चोकर सेक्टर और डीजीपी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस मामले की गंभीरता को एक्सप्लेन करें ताकि वे संतोषजनक उत्तर दे सकें.

3 उन्होंने डीजीपी और एसीएम (होम) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया. मामले को सुनवाई 9 फरवरी को मुंबई को करवाई है.

हृष्ट कर्तिताना हमले के बाद भी जब तस्करी द्वारा अधिकारियों पर हमले नहीं रुके तो आरोप ने अपनी घडील और महाराष्ट्र एनिमल वेल्फेयर बोर्ड को मदद रह चुकी एड. सिद्ध विद्या के माफत मानवाधिकार आयोग में 19 मई 2022 को शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में



आयोग का 11 व 12 जनवरी को शिविर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से सहाय्यी गेस्ट हाउस में 11 व 12 जनवरी को 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है. उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और राज्य सरकार के चरित्र अधिकारी भाग लेंगे, जिसका मार्गदर्शन राज्य के मुख्य सचिव पशुसंवर्धन श्रेयसराव करंगे. गृह विभाग ने प्रेम विज्ञापित में कहा है कि मानवाधिकारों

परिस्थितिजन्य सहाय्य भी जोड़े गए थे, जिस पर आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया. गौरतल्लव है कि आरोप को हार्जिस द्वारा नामित कमेटी ने उन्हें पशु कल्याण अधिकारी नियुक्त किया है और उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि



छोड़े हैं. जहर है उनकी न तो पुलिस का डर है और न ही कानून का कोई खौफ. हमें आयोग से उलाहल आशा मिलेगी.

-एड. सिद्ध विद्या, पूर्व सदस्य महाराष्ट्र एनिमल वेलफेयर बोर्ड

के बेहतर संरक्षण और प्रचार-प्रसार की दृष्टि से आयोग द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही निवारण करने के लिए ऐसी शिविर बैठकें और खुली सुनवाई का आयोजन किया गया है.

महाराष्ट्र में सभी पशु कल्याण कानूनों का टोक से पालन हो रहा है या नहीं. मामले को मुंबई में आयोग ने एडिशनल चीफ स्पेक्ट्रेटरी (होम) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. 30 जून 2022 को दिए गए अपने जवाब में कहा गया कि यह मामला पशुसंवर्धन विभाग का है.

गोमांस के तस्करी का दुस्साहस उल्लेख बढ़ा हुआ है कि वे पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फे पशु कल्याण अधिकारियों पर जनसेवा हमला करते हैं, बल्कि पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते हैं. जहर है उनकी न तो पुलिस का डर है और न ही कानून का कोई खौफ. हमें आयोग से उलाहल आशा मिलेगी.